न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

तेजाराम बनाम सरकार व अन्य
निगरानी याचिका संख्या – 02/2026
सीएनआर नम्बर – RJCH010013192025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.03.2026	निगरानीदार के योग्य अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र बुड़ानिया उपस्थित। योग्य लोक अभियोजक उपस्थित। निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2025 विधि एवं अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल पारित किया गया है। जिस शराब की बरामदगी दर्शाई गई है वह राजस्थान सरकार के विधिवत अनुज्ञापत्र के अधीन क्रय–विक्रय के लिए लाई गई थी तथा प्रार्थी तेजाराम के पास वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वैध लाइसेंस उपलब्ध था। प्रार्थी द्वारा उक्त शराब के भण्डारण हेतु गौदाम स्वीकृत कराने के लिए आबकारी विभाग के समक्ष पूर्व में ही आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका था तथा सर्किल निरीक्षक द्वारा दिनांक 19.10.2023 को गौदाम का निरीक्षण कर उसकी अनुशंसा भी की जा चुकी थी, जिसके पश्चात दिनांक 21.10.2023 को गौदाम उपयोग की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसके बावजूद पुलिस द्वारा दिनांक 20.10.2023 को उक्त गौदाम पर दबिश देकर शराब जब्त कर ली गई तथा उसके विरूद्ध धारा 20 व 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। यह भी बहस रही है कि जब्त की गई समस्त शराब सील पैक थी तथा उसका स्वामित्व एवं क्रय–विक्रय से संबंधित आवश्यक लाइसेंस, परमिट एवं बिल–वाउचर उपलब्ध थे, अतः राजस्थान आबकारी अधिनियम का कोई भी अपराध बनना प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं होता। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों एवं विधि दोनों के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है। विद्वान लोक अभियोजक ने निगरानी याचिका का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पारित किया गया है। दिनांक 20.10.2023 को जिस स्थान से शराब बरामद की गई, वह स्थान उस समय विधिवत स्वीकृत गोदाम नहीं था। स्वयं निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 19.10.2023 को आबकारी निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि उस समय तक गोदाम की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी और केवल अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि प्रार्थना पत्र अवश्य प्रस्तुत किया गया था, किन्तु उक्त स्थान के संबंध में यह भी जांच अपेक्षित थी कि उसके आस–पास किसी प्रकार का विद्यालय, मन्दिर अथवा अन्य निषिद्ध स्थान तो स्थित नहीं है तथा इस संबंध में आवश्यक जांच प्रक्रिया उस समय तक लंबित थी। अतः बिना विधिवत स्वीकृति प्राप्त किए उक्त स्थान पर शराब का भण्डारण करना राजस्थान आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा निगरानी याचिका निरस्त किए जाने योग्य है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा सम्बन्धित विधि एवं आक्षेपित आदेश का भी अवलोकन किया गया।	

पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित है कि जब्तशुदा शराब राजस्थान सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुज्ञप्तिधारी विक्रय के लिए अनुमत शराब थी तथा अभियुक्त तेजाराम के पास संबंधित अवधि के लिए मदिरा विक्रय हेतु वैध अनुज्ञप्ति विद्यमान थी। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने यह उचित रूप से अपने आदेश में माना कि अभियोजन की स्वीकृत स्थिति के अनुसार जब्तशुदा शराब लाइसेंसशुदा होने से राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 20/54 के अन्तर्गत अपराध का गठन प्रथमदृष्टया नहीं होता है। परिणामतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को उक्त धारा से उन्मोचित किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है। किन्तु जहां तक धारा 19/54 एवं 54 घ राजस्थान आबकारी अधिनियम का प्रश्न है, इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का परीक्षण करने पर यह प्रथमदृष्टया स्पष्ट होता है कि जिस स्थान से दिनांक 20.10.2023 को शराब बरामद की गई, उस दिनांक को उक्त स्थान को शराब भण्डारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। इस संदर्भ में विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जिस प्रार्थना पत्र दिनांक 19.10.2023 का उल्लेख अपनी बहस में किया गया है, वह स्वयं यह दर्शाता है कि अभियुक्त तेजाराम द्वारा आबकारी निरीक्षक के समक्ष उक्त स्थान को मदिरा भण्डारण हेतु गोदाम के रूप में स्वीकृत कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना पत्र से यह तथ्य प्रथमदृष्टया स्पष्ट होता है कि घटना की तिथि तक उस स्थान को गोदाम के रूप में उपयोग करने की विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी, बल्कि उसकी स्वीकृति हेतु आवेदन विचाराधीन था।

अतः ऐसी स्थिति में उक्त स्थान पर शराब का भण्डारण किया जाना अभियुक्त को प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन में होना प्रथमदृष्टया परिलक्षित होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाना कि अभियुक्तगण के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 एवं 54 घ के अपराध के प्रथमदृष्टया आधार उपलब्ध हैं, विधि एवं अभिलेख के अनुरूप प्रतीत होता है। यह भी विधि का स्थापित सिद्धांत है कि आरोप निर्धारण के स्तर पर साक्ष्य का विस्तृत परीक्षण अथवा गहन मूल्यांकन अपेक्षित नहीं होता, बल्कि यह देखा जाना पर्याप्त होता है कि पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का प्रथमदृष्टया आधार बनता है या नहीं।

उपरोक्त समस्त परिस्थितियों, उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई विवेचना के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई ऐसी विधिक त्रुटि, अनियमितता अथवा अधिकार क्षेत्र से परे कार्यवाही परिलक्षित नहीं होती है, जिसके कारण इस न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो। फलस्वरूप प्रस्तुत निगरानी याचिका निराधार पाई जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे।